कार्यालय आयुक्त,गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।
17,न्यू बेरी रोड डालीबाग,लखनऊ।

पत्रांकः [handwritten]/विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक [handwritten] 2018

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।

विषयः—गन्ना के साथ अन्तःफसली/सहफसली खेती के संबंध मे।

कृपया अवगत हो कि आगामी वर्षो मे गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने हेतु गन्ने की फसल के साथ-साथ अन्तःफसली/सहफसली के रूप मे अतिरिक्त अन्य फसल प्राप्त करने हेतु कृषकों को विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न पैकेज आफ प्रेक्टिसेज हेतु क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम एवं एन.एफ.एस.एम. के अन्तर्गत गन्ने के साथ सहफसली/अन्तःफसली के कार्यक्रम संचालित है। इन कार्यक्रमों में राजकीय अनुदान की व्यवस्था भी है।

गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने एवं गन्ने की उत्पादन लागत में कमी लाने के दृष्टिगत एन.एफ.एस.एम. के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले क्षेत्र प्रदर्शनों में दलहन एवं तिलहन की उन फसलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाय जिनकी बाजार में अत्यधिक मॉग है साथ ही साथ वे गन्ने की खेती के लिए भी अत्यधिक अनुकूल है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न पैकेज आफ प्रेक्टिसेज हेतु स्थापित किये जाने वाले विभिन्न प्रदर्शनों में ऐसे फसलों का चुनाव किया जाय जिसकी मांग बाजार मे अधिक हों तथा गन्ने की फसल के लिए भी अधिकाधिक लाभःदायी हो। जिससे कि कृषकों को उनके द्वारा लगायी गयी अतिरिक्त फसल का बाजार में सार्थक मूल्य प्राप्त हो, जिससे आय मे वृद्धि सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ गन्ने की उत्पादन लागत में कमी भी सुनिश्चित हों।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं का गन्ने के साथ सहफसली/अन्तःफसली के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कृषको के बीच मे विभिन्न कृषक गोष्ठियों, कृषक मेलों, वाल पेन्टिंग, पम्पलेट, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कराते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त
गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner